कार्यालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान - जयपुर

क्रमांक:

दिनांक:

वाद संख्या: 1/82!2!

विषय: राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी निर्माण हेतु अवाप्ती के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सुखालपुरा खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा

पीठासीन अधिकारी :-

श्री मूलचंद, आर.ए.एस. विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

पक्षकार:-

1. श्री कान्या, मोहरू पि. भूरा जाति माली निवासी सुखालपुरा तहसील सांगानेर जिला - जयपुर जरिये श्री रामचन्द्र शर्मा, एडवोकेट

2. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर जरिये श्री दीन दयाल शर्मा एडवोकेट:

:: अवार्ड ::

!1! राज्य सरकार के नगरीय एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अंकित भूमि को अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 53 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जावेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ7!72! न.वि.आ./11/81 दिनांक 12.1.82 को राजस्थान राजपत्र के भाग "ख" में दिनांक 13 जनवरी, 1982 को प्रकाशित

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

59

को गई । ग्रामवार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:---

क्र. सं.	नाम ग्राम	बीघा	बिस्वा
1.	सुखालपुरा	807	06
2.	दूधरी	679	04
3.	झालानाचौड	936	03
4.	बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला	38	11
5.	मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास	27	07
6.	नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास	82	04
	योग	2570	15

(2) तत्पश्चात राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 13 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उप धारा (1) में उल्लेखित नोटिस में प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक एफ7(72) न. वि. आ. /11/81 दिनांक 9 फरवरी, 1982 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 9.2.82 भाग -1 (ख) में प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

(3) धारा 17(4) की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात अवाप्ति के अन्तर्गत भूमि का सर्वे तहसीलदार सांगानेर से कराया गया । तत्पश्चात समस्त खातेदारों/हितधारियों के नाम भूमि का कब्जा स्थानान्तरण हेतु तथा अपने हक व हित प्रस्तुत करने हेतु पब्लिक नोटिस नियमानुसार दिनांक 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया । पब्लिक नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात निम्न लिखित तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया:--

दिनांक 22.5.82 ग्राम सुखालपुरा, नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास एवं दूधरी.

दिनांक 24.5.82 झालाना चौड, बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला, मानपुरा देहरी उर्फ गोल्यावास.

कार्यालय विशेषाधिकारी
विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

(60)

सत्यमेव जयते

(4) उपरोक्त [illegible] खातेदारों/ हितधारियों को [illegible] अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये तमाम खसरा नम्बर की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.6.1982 में भी प्रकाशित की गई।

(5) अधिनियम की धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस प्रकाशित करने से पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ7(72)न. वि. आ. /11/81 दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम सुल्तानपुरा झालाना चौड एवं गोल्यावास की कुछ खसरा नम्बरों की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, अतः अधिनियम की धारा 9(1) के नोटिस में स्थगन आदेश सम्बन्धित भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया एवं कब्जा भी नहीं लिया गया। इस प्रकार स्थगन आदेश संबंधित भूमि को छोडते हुए तथा राजस्व अधिकार में अंकित रकबे से अधिक रकबे को छोडते हुए निम्न ग्रामों के आगे अंकित भूमि का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं 24.5.82 को लिया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को सौंपा गया :

नाम ग्राम	बीघा	बिस्वा
1. बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला तहसील सांगानेर	38	11
2. मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर	24	06
3. नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील, सांगानेर.	82	04
4. झालाना चौड तहसील सांगानेर	852	10
5. देवरी तहसील सांगानेर	667	13
6. सुल्तानपुरा तहसील सांगानेर	726	19
योग	2392	11

कार्यालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन राजस्थान, जयपुर.

(6)

।6। खसरा नम्बर ।। रकबा 25 बीधा । बिस्वा जिसका अवार्ड किया जा रहा है यह ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर की 726 बीधा 19 बिस्वा भूमि में सम्मिलित है । जिसका पूरा विवरण निम्नानुसार है :--

क्र.सं.	नाम खातेदार/ हितधारी		ख.नं.	रकबा	किस्म भूमि
1.	कान्या	पि. भूरा	।।	25 बीधा ।बि.	बारानी दोयम
2.	मोहरू				

।7। उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कान्या, मोहरू पिसरान भूरा जाति माली के नाम दर्ज है किन्तु क्लेम कान्या, मोहरू पि. भूरा के अतिरिक्त उनके तीन अन्य सगे भाई ग्यारसा, जगन्नाथ, बाबू पिसरान भूरा जाति माली ने भी अपना हक व हित उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर ।। रकबा 25 बीधा । बिस्वा में बतलाते हुए निम्न प्रकार से अधिनियम की धारा 9।3। के अन्तर्गत खातेदारान को नोटिस दिये जाने पर उत्तर प्रस्तुत कर श्री कान्या, मोहरू, ग्यारसा, जगन्नाथ, बाबू पिसरान भूरा जाति माली ने अपना अपना 1/5 भाग पर हक बतलाते हुए क्लेम प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है :--

1. श्री कान्या पुत्र भूरा का क्लेम:-

क.	भूमि खसरा नम्बर ।। रकबा 25 बीधा । बिस्वा की कीमत 45,000/- रूपये प्रति बीधा की दर से कुल 11,25,000/- का 1/5 भाग	2,62,500.00
ख.	भूमि की पोटेन्शियलिटी 15,000/-प्रति बीधा की दर से कुल 3,75,000/- का 1/5 भाग	75,000.00
ग.	भूमि के विकास व्यय में खर्च 40,000/- का 1/5 भाग	8,000.00
घ.	डोली की कीमत 9,900/- का 1/5 भाग	1,980.00
ड.	कूंचों से आय 40000/- का 1/5 भाग	8,000.00
च.	कुआ मय बोरिंग की कीमत 62,504/- का 1/5 भाग	12,501.00
छ.	पुख्ता मकान की कीमत	5,301.00
ज.	छप्पर धर व छप्परों की कीमत	1,261.00

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

(62)

झ	भूमिगत सीमेन्ट के नल व होदियों की कीमत	
ट.	शिफटिंग व रिमूवल चार्जेज	1,764.00
		1,000.00
ठ.	पेडों का मुआवजा	3,700.00

2. मोहन पुत्र भूरा का क्लेम :--

क.	भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा की कीमत 45,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से कुल 11,25,000/- का 1/5 भाग	2,62,500.00
ख.	भूमि की पोटेन्शियलिटी 15,000/-प्रति बीघा की दर से कुल 3,75,000/- का 1/2 भाग	75,000.00
ग.	भूमि के विकास व्यय में खर्च 40,000/- का 1/5 भाग	8000.00
घ.	डोली की कीमत 9,900/- का 1/5 भाग	1980.00
ड.	कूंचों से आय 40000/- का 1/5 भाग	8000.00
च.	कुआ मय बोरिंग की कीमत 62,504/- का 1/5 भाग	12501.00
छ.	प्रार्थी के पुख्ता मकान की कीमत	7044.00
ज.	छप्पर धर व छप्परों की कीमत	4427.00
झ.	शिफटिंग व रिमूवल चार्जेज	1000.00
ट.	पेडों का मुआवजा	1550.00

(3) ग्यारसा पुत्र भूरा का क्लेम

क.	भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा की कीमत 45,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से कुल 11,25,000/- का 1/5 भाग	2,62,500.00
ख.	भूमि की पोटेन्शियलिटी 15,000/- प्रति बीघा की दर से कुल 3,75,000/- का 1/5 भाग	75,000.00
ग.	भूमि के विकास व्यय में खर्च 4,0000/- का 1/5 भाग	8,000.00
घ.	डोली की कीमत 9,900/- का 1/5 भाग	1,980.00
ड.	कूंचों से आय 40,000/- का 1/5 भाग	8,000.00
च.	कुआ मय बोरिंग की कीमत 62,504/- का 1/5 भाग	12,501.00
छ.	भूमि गत सीमेन्ट के नल व होदियों की कीमत	1,478.00
ज.	छप्पन धर एवं छप्परों की कीमत	6,511.00
झ.	शिफटिंग व रिमूवल चार्जेज	1,000.00
ट.	पेडों का मुआवजा	2,900.00

कार्यालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल राजस्थान, जयपुर.

....6.

|4| जगन्नाथ पुत्र भूरा का क्लेम:--

क.	भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीधा 1 बिस्वा की कीमत 45,000/- रुपये प्रति बीधा की दर से कुल 11,25,000/- का 1/5 भाग	2,62,500.00
ख.	भूमि की पोटेन्शियालटी 15,000/- प्रति बीधा की दर से कुल 3,75,000/- का 1/5 भाग	75,000.00
ग.	भूमि के विकास व्यय में खर्च, 40,000/- का 1/5 भाग	8,000.00
ध	डोली की कीमत 9,900/- का 1/5 भाग	1,980.00
ड.	कूंओं से आय 40,000/- का 1/5 भाग	8,000.00
च.	कुआ मय बोरिंग की कीमत 62,504/- का 1/5 भाग	12,501.00
[illegible]	[illegible]	
छ.	पुख्ता मकान की कीमत	36,825.00
ज.	छप्पर धर व छप्परों की कीमत	6,228.00
झ.	शिफटिंग व रिमूवल चार्जेज	1,000.00
ट.	वृक्षों का मुआवजा	2,600.00

|5| बाबू पुत्र भूरा का क्लेम :--

क.	भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीधा 1 बिस्वा की कीमत 45,000/-रुपये प्रति बीधा की दर से कुल 11,25,000/- का 1/5 भाग	2,62,500.00
ख.	भूमि की पोटेन्शियालटी 15,000/-प्रति बीधा की दरसे कुल 3,75,000/- का 1/5 भाग	75,000.00
ग.	भूमि के विकास व्यय में खर्च 40,000/- का 1/5 भाग	8,000.00
ध.	डोली की कीमत 9,900/- का 1/5 भाग	1,980.00
ड.	कूंओं से आय 40,000/- का 1/5 भाग	8,000.00
च.	कुआमय बोरिंग की कीमत 62,504/- का 1/5 भाग	12,501.00
छ.	पुख्ता मकान की कीमत	32,306.00
ज.	टीन पोश धर, छप्पर धर, व छप्परों की कीमत	8,598.00
झ.	भूमिगत सीमेन्ट के नलों की कीमत	2,319.00
ट.	शिफटिंग व रिमूवल चार्जेज	1,000.00
ठ.	पेड़ों का मुआवजा	3,450.00

कार्यालय [illegible]
नगरीय विकास एवं [illegible]
राजस्थान, जयपुर,

....7....

उपरोक्त कैसों में वर्णित मुआवजे के अलावा सभी दावेदारान ने मुआवजे को राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के रूप में मांग की है तथा अवाप्ति कार्यवाही में दावेदारानका समय व धन व्यय हो रहा है उसके 5 प्रतिशत मुआवजे के रूप में राशि की मांग की है तथा मुआवजे कोराशि पर 6 प्रतिशत ब्याज की मांग की है ।

।8। राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारान को क्लेम का उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अत्याधिक बतलाते हुए अस्वीकार किया है तथा भूमि की कीमत 10,000/= प्रति बीधा दिया जाना प्रस्तावित किया है ।

।9। भूमि पर स्थित निर्माण आदि का तखमीना राजस्व रेकार्डमें अंकित खातेदार श्री कान्या, महोरू पि. भूरामाली के हित नाम प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

1.	मिट्टी की ढोली	2,987.62
2.	हद्स।कच्चा हद्स। की कीमत	30,244.80
3.	बिजली धर	733.40
4.	कुआ मय बोरिंग	29,000.00
5.	ढारों की कीमत	200.00
6.	होदियों की कीमत	460.00
7.	पेडों की कीमत	7,095.00
8.	आवासीय मकान ।निर्माणाधीन। ।1। 12,898.80 ।2। 9,353.92	22,252.72
9.	पानी का हौज बडा	384.00
10	ए सी पाईप 5 इंचचौडे	4076.38

।10। दावेदारान की ओर से अपने क्लेमों के समर्थन में निम्न लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत किये है :

1. भूमि पर बने सभी प्रकार के स्ट्रेक्चर्स के तखमीने जो कि एक से वा निवृत अभियन्ता द्वारा बनाया गया है ।
2. मकानों के मानचित्र
3. विक्रय पत्र दिनांक 1.1.1973
4. विक्रय पत्र दिनांक 18.7.72
5. विक्रय पत्र दिनांक9.8.71
6. विक्रय पत्रदिनांक 15.11.73
7. जमबांदो सम्वत 2025 से 2028
8. खसरा गिरदावरी सं. 2034 स 2038 तक

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

(65)

।।।। आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का विवरण निम्न प्रकार से है :

1. विक्रय पत्र दिनांक 15.9.1981
2. विक्रय पत्र दिनांक 4 जनवरी 1982

।12। मैंने इस प्रकरण सेसम्बन्धित भूमि का मौका निरीक्षण किया पत्रावलीका अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत पक्षकारान द्वारा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पक्षकारान के विद्वार अभिभाषकगण की बहस सुनी दावेदारान ने अपने क्लेमों में 45,000/= प्रति बीघा की दर से मुआवजे की मांगकी है इसके समर्थन में दावेदारान द्वारा जोविक्रय पत्र प्रस्तुत किए है उनसे उनके द्वारा मांगी गई दर सिध्द नहीं होती है और इस दर को मैं बहुत अत्याधिक मानता हूँ । आवासन मण्डल की को ओर से भूमि कीदर 10,000/= प्रति बीघा की दर से देना प्रस्तावित किया है तथा इसके समर्थन में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है उसकी औसत कीमत 6,500/- रूपया प्रति बीघा आती है यह दर भूमि की बढती हुई कीमत व इसकी पोटेन्शियलिटी को देखते हुए मैं कम मानता हूँ । इस मामले में सबसे महत्वपूण मुद्दा भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ति दिनांक को भूमि की दर निर्धारित करना है, क्योंकि इन मामलों से सम्बन्धित विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा 12,1.82 कोजारी की जा चुकी है और इसके पश्चात इसी क्षेत्र के कईमामलों का निर्धारण भी किया जा चुका है जिसमें भूमि की चाही 20,000/- प्रति बीघा, बारानी व बंजड 19,000/- प्रति बीघा एवं सडक कीसीमा में आने वाली भूमि कीदर 1000/- अतिरिक्त प्रति बीघा निर्धारित की गईहै अतः इन दरों को भी मध्य नजर रखना न्यायोचित होगा । दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता ने बहसके दारान बतलाया कि भूमि खसरा नम्बर ।। रकबा 25 बीघा 00 । बिस्वा राजस्व रेकार्ड में श्री कान्या, महोरू पिसरानभूरा माली के नामदर्जहै । श्री काना, महोरू, पिसरान भूरा माली के अन्य सगे तीन भाई और है और इन सब भाईयों ने उक्त भूमि खसरा नम्बर ।। रकबा 25 बीघा । बिस्वा को बराबर बराबर 1/5 भागों में बांट लिया हैतथा वे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार है।

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

(66)

विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान [illegible] की भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा में अपने हितधारियों द्वारा प्रस्तुत क्लेम की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि कान्या, महोरु, ग्यारसा, जगन्नाथ, व बाबू पि. भूरा जाति माली अपना हिस्सा बराबर 1/5 उक्त भूमि पर बतलाते हुए ही सामलात में क्लेम प्रस्तुत किया है अतः उक्त 0000 भूमि का मुआवजा श्री कान्या, महोरु ग्यारसा, जगन्नाथ एवं बाबू पितरानभूरा माली पार्टी को बहिस्सा बराबरबराबर दिया जावे । विद्वान अधिवक्ता ने अपनी इस कथन कोपुष्टि में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 व 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 29 कीओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तथा ए आई आर 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 409 व 1724 एवं ए आईआर 1976 बाम्बे पेज 219 प्रस्तुत की और उपरोक्त रूलिंग्स का विश्लेषण करते हुए बतलाया कि " एडमीशन सर्वोत्तम शहादत है उन्होने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार "एडमीटेड फैक्ट्स को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ता । इस प्रकरण में भी श्री कान्या मोहरु, ग्यारसा, जगन्नाथ, एवं बाबू ने भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा के मुआवजे की राशि में अपना अपना हिस्सा 1/5 बतलाते हुए मुआवजे की मांग की है । मैने दावेदारान के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एवं वर्णित रूलिंग्स का अध्ययन किया पत्रावली में प्रस्तुत क्लेमों का अवलोकन किया, मैं दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कसे सहमत हूँ तथा भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा के मुआवजे कीराशि को श्री काना, महोरु, ग्यारसा, जगन्नाथा एवं बाबू को हितधारी मानते हुए बराबरबराब हिस्सा देना न्यायोचित समझताहूँ ।

बहस के दौरान दावेदारानके अधिवक्ता ने कहा कि भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा को चाही के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है । इस भूमि में गेहूँ, जौ, मटर, टमाटर, करेला, आदि कीफसल पैदा की जाती है । अपने इस तर्क की पुष्टि में विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 से 2037 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि खसरा गिरदावरी में रबी एवं खरीफ के दोनो फसले अंकित है । इस जोत पर एकसोमेन्टका पुख्ता कुआ बनाहुआ

कार्यालय [illegible]
विकास एवं [illegible]
राजस्थान, जयपुर.

है तथा इस कुए में ... लगा हुआ है जिससे इस पूरी जोत की पिलाई की जाती है, भूमि बहुत उपजाऊ है एवं समतल है अत: भूमि का मुआवजा चाही मानकर दिलाया जाना चाहिए। अपने इस तर्क के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान लैण्ड रेवैन्यू एक्ट के अन्तर्गत बने नियम 1957 [राजस्थान लैण्ड रेवैन्यू] सर्वे रिकार्ड एण्ड सेटिलमेन्ट [गवर्नमेन्ट रूल्स 1957] का उल्लेख किया तथा उक्त नियमों की संख्या 31 में भूमि के किये गये वर्गीकरण की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया जिसमें चाही भूमि कई प्रकार की मानी गई, कुए से सिंचित होना भी चाही भूमि की श्रेणी में सम्मिलित है मैंने राजस्थान लैण्ड रेवैन्यू एक्ट के अन्तर्गत बने नियमों का अध्ययन किया एवं मौका निरीक्षण के समय इस जोत पर कुआ स्थित पाया जिससे इस सम्पूर्ण जोत को पिलाई की जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने मुझे आगे बतलाया कि भूमि सडक सीमा से भी दूर नहीं है इस भूमि में सभी तरह की शब्जीया उत्पन्न होती हैं भूमि का मुआवजा तय करते समय उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखा जाना चाहिए मौका निरीक्षण पर मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सही पाया अत: मैं इस भूमि की उपयोगिता, उपादेयता एवं अन्य स्थितियों को मध्य नजर रखते हुए इसभूमि का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने मुझे बतलाया कि इस जोत में एक सीमेन्ट का पुख्ता चौडा एवं काफी मजबूत कुआ बनाहुआ है जिसमें बिजली लगी हुई है बोरिंग हो रहा है अत: इस कुए का मुआवजा हमारे क्लेम के अनुसार 62,504/-रुपये दिलाये जाना चाहिए क्योंकि हमनें इस कुए का एक तखमीना प्रस्तुत किया है जो कि एक सेवा निवृत अभियन्ता द्वारा तैयार किया हुआ है। आवासनमण्डल द्वारा बनाया गया तखमीना बहुत कम है मैंने इस जोत के निरीक्षण के समय स्थित कुए का अवलोकन किया कुए की बनावट उसकी चौडाई एवं गहराई को देखते हुए मैं आवासन मण्डल द्वारा कुए की 9000 प्रस्तावित कीमत को कम मानता हूँ तथा इस कुए की बनावट, गहराई आदि कोमध्य नजर रखते हुए 36,000/-रुपये मुआवजे के रूप में देना न्यायोचित समझता हूँ। विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि इस जोत के चारो ओर बहुत मोटी एवं लगभग 5 फुट ऊंची डोली लगी हुई है इस डोली पर कुचे लगे हुए है

कार्यालय डिप्टीदाधिकारी
... विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

सत्यमेव जयते

अत: डोली का मुआवजा हमारे तखमीने के अनुसार 9,900/- दिलाया जाना चाहिए । मौका निरीक्षण पर मैंने इस जोत परलगी डोली का निरीक्षण किया आवासन मण्डल द्वारा इसजोत पर लगी डोली के मुआवजे के रूप में 2,987.62 देना प्रस्तावित किया है इसे मैं कम मानता हूँ तथा मिट्टी की डोली की बनावत, लम्बाई, चौडाई एवं इसकी ऊंचाई आदि को देखते हुए डोली के मुआवजे के रूप में 8,000/- देना न्यायोचित समझता हूँ । विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बतलाया कि कुए के पास एक सीमेन्ट का होज बना हुआ है जिसकी लम्बाई 12 फुट है चौडाई चार फुट है एवं गहराई $4\frac{1}{2}$ फुट है । ये होज पत्थर एवं सीमेन्ट से बना हुआहै आवासन मण्डल ने जो अपने तखमीने में 384/- रुपये देना प्रस्तावित किया है बहुत कम है । अत: इसका मुआवजा इसकी बनावट लम्बाई चौडाई एवं गहराई को देखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए । मैंने इस जोत का मौका निरीक्षण के समय इस जोत पर बने उपरोक्त होज का अवलोकन किया इस होज की बनावट सीमेन्ट एवं पत्थरों से की गई है इसकी बढ़िया फिनिसिंग है अत: इनको मध्य नजर रखते हुए इस पानी के होज का मुआवजा 1200/- से कम देना न्यायोचित नहीं समझता ।

विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण के खातेदार हितधारियों श्री कान्या, जगन्नाथ, एवंबाबू लाल के द्वारा हाल होमें नव निर्मित पुख्ता भवनों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि श्री कान्या, जगन्नाथ, और बाबू लाल ने अपने भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है आवासन मण्डल द्वारा जब इनभवनों का तखमीना बनाया गया था उस समय निर्माण कार्य चालू था अत: श्री कान्या, जगन्नाथ व बाबू लाल के भवनों का मुआवजा मौके की स्थिती के अनुसार तय किया जाना चाहिये । मैंने जब इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का मौका निरीक्षण किया उस समय मेरे साथ इस योजना के स्थल अभियन्ता भी साथ थे तथा मौका निरीक्षण के समय दावेदारान के अधिवक्ता एवं दावेदारान स्वयं ने भी मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि आवासन मण्डल द्वारा जो तखमीने इन भवनों के बनाये गये थे उस समय भवन निर्माणाधीन थे । इस तथ्य की पुष्टि मौके पर स्थल अभियन्ता ने भी की तथा आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तखमीने में भी इस बात को उल्लेखित किया है । विद्वान अधिवक्ता ने श्री कान्या, के

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर.

श्री कान्या के बने पक्के मकान की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर कहा कि श्री कान्या के एक कमरा 16 फुट लम्बा एवं नौ फुट चौडा बना हुआ है जिसमें पत्थरों की [illegible] रही है इसके अतिरिक्त एक दस फुट लम्बी तथा 10 फुट चौडी एवं 10 फुट ऊंची रसोई बनी हुई है जिस पर अभी पट्टीया नहीं डली हुई है छप्पर डाल रखा है इनकी फिनिशिंग बहुत बढिया है क्योंकि भवन अभी निर्मित होकर पूरा नहीं हुआ है। अतः मकान की बनावट एवं इसकी फिनिशिंग आदि को मध्य नजर रख कर श्री कान्या के मकान का मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। मैने मौका निरीक्षण पर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सही पाया मैं श्री काना को उसके बने कमरे व पत्थर चूने की बनी रसोई के मुआवजे के रूप में 14,000/- रुपये देना न्यायोचित समझता हूँ। विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान श्री जगन्नाथ के बने पक्के मकान की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जगन्नाथ के मकान में 4 कमरे तथा एक हाल बना हुआ है जिसमें दो कमरे 18 फुट लम्बे तथा लगभग 10 फुट चौडे एवं एक कमरा 12 फुट लम्बा एवं 9 फुट चौडा तथा एक कमरा आठ फुट चौड 9½ फुट चौडा बना हुआ है तथा एक हाल 16 फुट लम्बा व 9-10 फुट चौडा बना हुआ है मकान की छत पर जाने के लिए जीना बनाहुआ है। इस के अलावा मकान के आगे एवं साईडों में 6 फुट ऊंचा पत्थरों का ढण्डा लगा हुआ है तथा सभी कमरों में आंगन हो रहे है मकान कुछ ही समय पूर्व नव निर्मित होकर सम्पूर्ण हुआ है अतः इन सबको मध्य नजर रख कर श्री जगन्नाथ के मकान का मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। मौका निरीक्षण के समय मैंने श्री जगन्नाथ के मकान का अवलोकन किया इस आवासीय योजना के स्थल अभियन्ता के साथ किया एवं विद्वान अधिवक्ता के द्वारा श्री जगन्नाथ के मकान के संबंध में वर्णित सभी तथ्यों को सही पाया तथा मैं श्री जगन्नाथ के मकान में बने कमरों की संख्या उनकी लम्बाई चौडाई तथा मकान के आगे बने ढण्डे वगैरा को मध्य नजर रखते हुए श्री जगन्नाथ को उनके मकान के मुआवजे के रूप में 36,500/- से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि श्री बाबू का मकान में भी तीन कमरे बने हुए है एक हाल बना हुआ है एक कमरा 10 फुट ऊंचा बना हुआ है किन्तु इस पर पट्टीया नहीं डाली गई है इस मकान का निर्माण भी अभी कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुआ है अतः श्री बाबू के मकान का मुआवजा

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर.

.....13....

का निर्धारण श्री बाबू लाल के मकान में बने कमरों एवं उनकी बनावट व फिनिशिंग आदि को मध्य नजर रख कर कियाजाना चाहिए। मैने मौका निरीक्षण के वक्त श्री बाबू लाल के मकान का अवलोकन किया। अवलोकन के समय इस योजना के स्थल अभियन्ता भी मौका निरीक्षण के समय मेरे साथ थे। हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा बाबू लाल के मकान से सम्बन्धित वर्णित तथ्यों को सही पाया एवं श्री बाबू लाल को उसके मकान में बने तीन कमरों, हाल, एवं एक अन्य कमरे की बनावट उसकी फिनिशिंग आदि को मध्य नजर रखते हुए मैं इस मकान का मुआवजा 32,000/- से कम देना न्यायोचित नहीं मानता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण के हितधारियों ने अपने अपने निवास के लिए पुख्ता मकानों के अलावा भी खाम धर, छप्पर आदि बना रखे है इनके अपने हिस्से में आने वाली भूमि के अन्दर पेड लगेहुए है, सीमेन्ट के पाईप व होदिया अपनी निजी बना रखी है इन [redacted] सबका मुआवजा प्रत्येक को अलग अलग मिलना चाहिए। श्री काना के एक 30 फुट लम्बा तथा 12 फुट चौडा एक मिट्टी का बना हुआ धर है जिसके ऊपर छप्पर बंधा हुआ है तथा उसमें 13 फुट लम्बी दो पट्टीया लगी हुई है एक अन्य छप्पर 15 फुट लम्बा तथा 10 फुट चौडा है जिसमें छः पट्टीया लगी हुई है तथा एक चारा रखने के लिए ढारा बना हुआ है इन सबका कामुआवजा इनकी बनावट लम्बाई चौडाई एवं इनमे लगी पट्टीयों को मध्य नजर रख कर किया जाना चाहिए। मैने मौका निरीक्षण के समय श्री कान्या के बने मिट्टी के धर, छप्पर व ढारे का अवलोकन किया मै श्री काना को उसके छप्पर धर, मिट्टी का धर एवं ढारे के मुआवजे के रूप में 9,000/- से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि श्री कान्या के हक में अपनी जमीन में 250 फुट सीमेन्ट के पाईप जमीन में लगा रखे है तथा दो सीमेन्ट की होदिया बना रखी है जो 5 फुट गहरी बनी हुई है तथा काना के 15 वृक्ष भूमि पर स्थित है अतः इनका भी मुआवजा दिया जाना चाहिए मैने मौका निरीक्षण पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्णित तथ्यों को सही पाया तथा मैं श्री कान्याको सीमेन्ट के पाईप एवं होदियो के मुआवजे के रूप में 1,600/- रूपये देना न्यायोचित समझता हूँ तथा 15 पेडों के 1,500/- रूपये से कम देना न्यायोचित नहीं मानता हूँ।

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

....14....

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि श्री महोरु के एक ईंटों का धर बना हुआ है जिसकी लम्बाई 25 फुट है चौडाई 10-11 फुट है ईंटों का आसार 9 इंच है ऊपर छप्पर बंधा हुआ है जो कि अभी हाल ही में बंधाया गया है एक रसोई बनी हुई है, रसोई की बनावटभी ईंटों से निर्मित है तथा इसकी दिवारे भी 9 इंच मोटी है । एक मिट्टी का धर 22 फुट लम्बा बना हुआ है जिसके ऊपर छप्पर बंधा हुआ है इसके अलावा एक छप्पर बना हुआ है जिसकी लम्बाई 25 फुट है इसमें 2 पट्टीया लगी हुई है तथा एक ढारा चारा रखने के लिए बना हुआ है श्री महोरु के चौदह पेड भूमि पर स्थित है अत: इन सबका मुआवजा दिलाया जाना चाहिए । मैंने इस जोत का निरीक्षण इस योजना से सम्बन्धित स्थल अभियन्ता के साथ किया तथा मौका निरीक्षण के समय महोरु के बने ईंटों के धर, रसोई, खाम, छप्पर, ढारा एवं पेडों का अवलोकन किया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्णित तथ्यों को सही पाया मैं श्री म्होरु को उसके ईंटों के धर, रसोई, खाम धर, छप्पर एवं ढारा के मुआवजे के रूप में 15,000/- रुपये से कम देना न्यायोचित नहीं मानता हूँ । श्री म्होरु को पेडों के मुआवजे के रूप में 1,400/- देना न्यायोचित मानता हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त खसरा नम्बर के हितधारी श्री ग्यारसी लाल के बने खाम धर, छप्पर एवं अन्य स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री ग्यारसी लाल के एक खाम धर 30 फुट लम्बा बना हुआ है उसके ऊपर छप्पर बंधा हुआ है तथा एक छप्पर 15 फुट लम्बा 12 फुट चौडा बना हुआ है जिसमें सात पट्टीया लगी हुई है एक अन्य छप्पर 20 फुट लम्बा 12 फुट चौडा बना हुआ है इसमें दो पट्टीया लगी हुई है एक अन्य छप्पर 15 फुट लम्बा, आठ फुठ चौडा बना हुआ है इसमें एक पट्टी लगी हुई है, श्री ग्यारसी लाल के भूमि में 250 फुट सीमेन्ट के पांचइंच चौडे पाईप लगे हुये है तथा दो सीमेन्ट की बनी हुई होदिया स्थित है श्री ग्यारसी लाल के अपने भूमि पर 23 पेड स्थित है । अत: इनका मुआवजा श्री ग्यारसी लाल को दिलाया जाना चाहिए । मैंने इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का मौका निरीक्षण श्री ओ.पी. शर्मा स्थल अभियन्ता के साथ किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्णित तथ्यों को सही पाया मैं श्री ग्यारसी लाल को उसके खाम

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

अतः मैं श्री ग्यारसी लाल को उसके खाम धर, छप्परों एवं उनमें लगी पट्टीयों को मध्य नजर रखते हुए 6,500/- रुपये से कम मुआवजा देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। श्री ग्यारसी लाल को उसके 23 पेडों का मुआवजा 2,300/- देना न्यायोचित समझता हूँ। श्री ग्यारसी लाल के ए.सी. पाईप व होदियों के मुआवजे के रूप में 1,600/- रुपये से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बतलाया कि श्री जगन्नाथ के एक ईंटों का धर बना हुआ ह जिसकी लम्बाई 20 फुट ह तथा चौडाई 10 फुट ह ईंटों की दिवार 9 इंच मोटी ह ऊपर छप्पर बंधा हुआ ह इसके अलावा एक अन्य छप्पर 20 फुट लम्बा एवं 12 फुट चौडा ह और एक छप्पर 15 फुट लम्बा, 8 फुट चौडा ह जिसमें एक पट्टी लगी हुई ह इसके अतिरिक्त श्रीजगन्नाथ के हक में आईभूमि में उसके 12 वृक्ष ह। अतः इन सबका मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। मैंने मौका निरीक्षण के समय श्री जगन्नाथ के छप्पर ईंट धर व पेडों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्णित तथ्यों को सही पाया। म श्री जगन्नाथ को उसके ईंट धर छप्पर पोश, छप्परों के मुआवजे के 10,000/- रुपये से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। मैं श्री जगन्नाथ को 12, वृक्षों का मुआवजा 1,200/- रुपये देना न्यायोचित समझता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि बाबू लाल के अपने दो खाम धर बने हुए ह जिनपर छप्पर ह इसके अलावा एक छप्पर बना हुआ ह जिसमें तीन पट्टीया लगी हुई ह एक ठाण ठाण बनी हुई ह जिसकी लम्बाई 20 फुट ह, चार फुट ऊंची ह तथा दो फुट चौडी ह इसकी सम्पूर्णबनावट पत्थरों एवं सीमेन्ट से की हुई ह तथा श्री बाबू लाल के 600 फुट सीमेन्ट के पाईप भूमि में लगे हुए ह तथा तीन सीमेन्ट की होदिया बनी हुई ह और श्री बाबू लाल 15 वृक्ष भूमि में स्थित ह अतः श्री बाबू लाल को उपरोक्त वर्णित स्ट्रेक्चर्स आदि का मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। मैंने इस जोत का मौका निरीक्षण करते समय बाबू लाल के खाम धरों, छप्परों ठाण, होदी व ए.सी. पाईपआदि का अवलोकन किया

कार्यालय विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर.

मैं श्रीबाबू लाल को उसके खाम घरों, छप्पर, ठाण आदि का मुआवजे के रूप में 6,000/- देना न्यायोचित समझता हूँ। श्रीबाबू लाल को सीमेन्ट के पाइप एवं तीन सीमेन्ट की हौदियों का मुआवजा 3,500/- से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ तथा 15 पेडों का 1,500/- रुपये मुआवजा देना न्यायोचित समझता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस जोत के कुए के पास एक बिजली की घुमटी बनी हुई है, घुमटी की बनावट एवं उस पर रखी पट्टीयाँ आदि का मुआवजा इस जोत के पाँचों हितधारीयों को दिया जाना चाहिए। मैने मौका निरीक्षण पर घुमटी का अवलोकन किया मैं घुमटी के मुआवजे के रूप में 1,100/- रुपये से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अर्जेन्सी मानते हुए अधिनियम की धारा 17(4) में अवाप्त की गई है। अतः अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार सोलेशियम 10 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर दिलाया जावे। इस तर्क के संबंध में अधिनियम की धारा 23(2) का अध्ययन किया। अतः इसके आधार पर 10 प्रतिशत सोलेशियम दिया जाना भी न्यायोचित मानता हूँ। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बतलाया है। क्योंकि जोत का कब्जा दिनांक 22.5.82 को आवासन मण्डल को दिया जा चुका है। मैंने अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया अतः मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ।

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

(13) उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता है :

(1) श्री कान्या पुत्र भूरा जाति माली को मिलने वाला मुआवजा:

(क) भूमि खसरा नं. 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से 5,26,050/- का 1/5 भाग — 1,05,210.00

	पिछला योग:	1,05,210.00
।ख।	कुए का मुआवजा मय मशीन 36,000/- का 1/5 भाग	7,200.00
।ग।	मिट्टी कोठोली का मुआवजा 8,000/- का 1/5 भाग	1,600.00
।घ।	सिमेन्ट का हौज का मुआवजा 1,200/- का 1/5 भाग	0,240.00
।ङ।	बिजली की घुमटी का मुआवजा 1,100/- का 1/5 भाग	220.00
।च।	पक्के मकान का मुआवजा	14,000.00
।छ।	छप्पर घर, खाम घर, व ढारे का मुआवजा.	9,000.00
।ज।	ए.सी. पाईप व होदिया का मुआवजा	1,600.00
।झ।	पड़ों का मुआवजा	1,500.00
	योग:	1,40,570.00
।ट।	अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	14,057.00
	योग:	1,54,627.00
।ठ।	मुआवजे की राशि पर 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 7.11.83 तक	9,054.26
	कुल योग:	1,63,681.26

।अक्षरे एक लाख तिरेसठहजार छः सौ इक्यासी रुपये 26 पैसे मात्र।

।2। महारू पुत्र भूरा जाति माली को मिलने वाला मुआवजा

।क।	भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से 5,26,050/- का 1/5 भाग.	1,05,210.00

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

(75)

॥ 18 ॥

	पिछला योग:	1,05,210.00
॥ख॥	कुए का मुआवजा मय बोरिंग 36,000/- का 1/5 भाग	7,200.00
॥ग॥	मिट्टी की डोली का मुआवजा 8,000/- का 1/5 भाग	1,600.00
॥घ॥	सिमेन्ट का हौज का मुआवजा 1,200/- का 1/5 भाग	240.00
॥ड॥	बिजली की धुमटी का मुआवजा 1,100/- का 1/5 भाग	220.00
॥च॥	ईंटों का घर, ईंटों की रसोई, छप्पर एवं ढारे का मुआवजा	15,000.00
॥छ॥	पेडों का मुआवजा	1,400.00
	योग	1,30,870.00
॥ज॥	अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	13,087.00
	योग	1,43,957.00
॥झ॥	मुआवजे की राशि पर 4 % की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 7.11.83 तक	8,429.47
	कुल योग	1,52,386.47

॥अक्षरे एक लाख बावन हजार तीन सौ छियासी रुपये 47 पैसे मात्र॥

कार्यालय विशेषाधिकारी
विकास एवं अवाप्ति
राजस्थान, जयपुर.

....19......

(3) श्री ग्यारसा पुत्र ... को मिलने वाला मुआवजा

(क)	भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से 5,26,050/- का 1/5 भाग	1,05,210.00
(ख)	कुए का मुआवजा मय बोरिंग 36,000/- का 1/5 भाग	7,200.00
(ग)	मिट्टी की डोली का मुआवजा 8,000/- का 1/5 भाग	1,600.00
(घ)	सिमेन्टका हौज का मुआवजा 1,200/- का 1/5 भाग	240.00
(ङ)	बिजली की घुमटी का मुआवजा 1,100/- का 1/5 भाग	220.00
(च)	खाम धर एवं छप्परों का मुआवजा	6,500.00
(छ)	पेडों का मुआवजा	2,300.00
(ज)	ए.सी. पाईप एवं हौदीयों का मुआवजा	1,600.00
	योग	1,24,870.00
(झ)	अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	12,487.00
	योग	1,37,357.00
(ञ)	मुआवजे की राशि पर 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 7.11.83 तक	8,043.00
	कुल योग:	1,45,400.00

(अक्षरे एक लाख पैंतालीस हजार चार सौ रुपये मात्र)

कार्यालय विशेषाधिकारी
... विकास एवं आवासन ...
राजस्थान, जयपुर.

।4। श्री जगन्नाथ पुत्र भूरा माली को मिलने वाला मुआवजा

।क। भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से 5,26,050/- का 1/5 भाग । — 1,05,210.00

।ख। कुए का मुआवजा मय बोरिंग 36,000/- का 1/5 भाग — 7,200.00

।ग। मिट्टी की डोली का मुआवजा 8,000/- का 1/5 भाग — 1,600.00

।घ। सिमेन्ट के होज का मुआवजा 1,200/- का 1/5 भाग — 240.00

।ङ। बिजली की धुमटी का मुआवजा 1,100/- का 1/5 भाग — 220.00

।च। पक्के आवासीय मकान का मुआवजा — 36,500.00

।छ। ईंटों का धर एवं छप्परों का मुआवजा — 10,000.00

।ज। पेडों का मुआवजा — 1,200.00

योग: 1,62,170.00

।झ। अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से — 16,217.00

योग: 1,78,387.00

।ट। मुआवजे की राशि पर 4प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 7.11.83 तक — 10,445.54

कुल योग 1,88,832.54

।अंक्षरे एक लाख अठ्यासी हजार आठ सौ बत्तीस रुपये 54 पैसेमात्र।

कार्यालय विशेषाधिकारी
विकास एवं आवासन मंडल
राजस्थान, जयपुर.

...21.....

।5। श्री बाबू लाल पुत्र भूरा माली को मिलने वाला मुआवजा

।क। भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से 5,26,050/- का 1/5 भाग.	1,05,210.00
।ख। कुए का मुआवजा मय बोरिंग 36,000/- का 1/5 भाग	7,200.00
।ग। मिट्टी कोठोली का मुआवजा 8,000/- का 1/5 भाग	1,600.00
।घ। सिमेन्ट के हौज का मुआवजा 1,200/- का 1/5 भाग	240.00
।ङ। बिजली की धुमटी का मुआवजा 1,100/- का 1/5 भाग	220.00
।च। आवासीय पुख्ता मकान का मुआवजा	32,000.00
।छ। खाम घर, छप्पर एवं ढाणे का मुआवजा	6,000.00
।ज। सिमेन्ट के पाइप एवं होदीयों का मुआवजा	3,500.00
।झ। पेडों का मुआवजा	1,500.00
योग:	1,57,470.00
।ट। अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	15,747.00
योग	1,73,217.00
।ठ। मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 7.11.83 तक	10,142.80
कुल योग:	1,83,359.80

।अंक्षरे एक लाख तियासी हजार तीन सौ

कार्यालय विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर.

इस प्रकार आज दिनांक 8.11.1983 को कुल रुपये 8,33,660.07।अक्षरे आठ लाख तैंतीस हजार छः सौ साठ रुपये 07 पैसे मात्र। का अवार्ड घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 12।1। के अनुसार अवार्ड सामिल फाईल हो। एवं अधिनियम की धारा 12।2। के अनुसार सम्बन्धित खातेदारान को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 8.11.83 को सरे इजलास सुनाया गया।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:---

1. श्रीमान शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर.
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. तहसीलदार, सांगानेर जिला जयपुर
4. सर्व श्री कान्या, महोरू, जगन्नाथ, ग्यारसा एवं बाबू लाल पिसरान श्री भूरा जाति माली निवासी सुखालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर.

विशेषाधिकारी 8/11/83
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

1247 to 1251
9/11/83 O/C